(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 15 / 2017

बउनवान

1– हरिसिंह उम्र 60 वर्ष पुत्र बंशीलाल जाति मीणा निवासी बरबटखेडी तहसील छबडा
2– श्यामा उर्फ श्यामलाल उम 50 वर्ष पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी बरबटखेडी
3– बद्रीलाल उम्र 48 वर्ष पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी बरबटखेडी तह. छबडा

(अपीलांटगण)

बनाम

1– सविता आयु 37 वर्ष पत्नि राजमल जाति कंडारा ग्राम बरबटखेडी तहसील छबडा
2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छबडा द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नंबर 344 दि. 22.07.2016 अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :– 1. श्री कृष्ण गोपाल भार्गव अभिभाषक (अपीलांट)
2. श्री भगवान सिंह हाडा अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 07.08.2019

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नंबर 344 दिनांक 22.07.2016 वाके ग्राम बरबटखेडी तहसील छबडा जिला बारॉ से अप्रसन्न होकर विरूद्व रेस्पोडेन्ट के अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 24.04.2017 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मूल इंतकाल तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कवाई से मूल इंतकाल इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। रेस्पोडेन्ट जर्ये अभिभाषक उपस्थित होने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रकरण मे सर्व प्रथम लिमिटेशन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण मे विस्तृत बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि छीतरलाल ने जो विक्रय पत्र तस्दीक कराया है, यह भूमि बरबटखेडी की खसरा नम्बर 177 एवं 278 एवं 354 छीतरलाल के कब्जे काश्त में कभी भी नही रही है। उस जमीन को बेचने का अधिकार छीतरलाल को नही था। जो सरासर कानूनी सिद्धान्तों के विपरित होने से काबिले खारिज है। छीतरलाल का कब्जा नही होने ओर खरीरदार सविताबाई का कब्जा नही होने पर भी इंतकाल नम्बर 344 तस्दीक कर कानूनी भूल की है। जब कब्जा प्रदान ही नही किया गया तो सविताबाई के नाम पर इंतकाल कैसे खुल सकता है। दौराने वाद एस.डी.ओ. छबडा द्वारा कब्जे संबंधी मांगी गई रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित है कि यह जमीन हरिसिंह मीणा

के कब्जे काश्त में है। यह जमीन के संबंध में जो निगरानी ए.डी.जे. साइब छबडा के यहॉ पर विचाराधीन थी जिसमें से एक तो श्यामा वगै0 ती तरफ से थी तथा दूसरी सविता की ओर से थी दोनो निगरानियो के विचाराधीन होते हुए ओर उसमे स्थगन दिनांक 21.04.2014 एवं दिनांक 06.08.2016 को यह कहकर के खोल दिया कि यह जमीन विवाद रहित है।

यह कि सविता वाली निगरानी वर्तमान मे न्यायालय ए.डी.जे. छबडा मे जैरकार है तथा दिनांक 22.7.2016 को दोनो निगरानियों मे स्थगन था, फिर भी इंतकाल खोलकर कानूनी भूल की है। यह कि उक्त इंतकाल का ज्ञान अपीलांट को नकल लेने व जमाबन्दी की नकल लेने पर दिनांक 7.4.2017 को हुआ तब मालूम पडा कि उक्त इंतकाल खोल दिया। जिसमे प्रार्थीया का नाम दर्ज नही किया तब इंतकाल की नकल ली नकल मिलते ही अपील पेश है। प्रार्थीगण ने ज्ञान होने ही अपील पेश कर दी है। इसलिए इंतकाल नम्बर 344 वाके ग्राम बरबटखेडी कानूनी सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है।

यह कि उक्त भूमि का विक्रेता छीतरलाल एवं क्रेता सविताबाई का कब्जा नही होने के बावजूद इंतकाल खोला गया है जो अवैध एवं प्रभाव शून्य है। उक्त भूमि पर अपीलांट हरिसिंह का कब्जा है जो एस.डी.ओ. छबडा द्वारा हल्का पटवारी से मांगी गई मौक रिपोर्ट से प्रमाणित है, फिर भी इंतकाल खोलकर कानूनी भूल की है। इस जमीन के संबंध मे जो निगरानी ए.डी.जे. साहब छबडा के यहॉ पर विचाराधीन थी। जिसमे से एक तो श्यामा वगै. की तरफ से थी तथा दूसरी सविता की ओर से थी। दोनो निगरानियों के विचाराधीन होते हुए और उसके स्थगन दिनांक 21.4.2014 एवं दिनांक 6.8.2016 से होते हुए भी इंतकाल नम्बर 344 दिनांक 22.7.2016 को यह कहकर के खोल दिया कि यह जमीन विवाद रहीत है। इसलिए हल्का पटवारी द्वारा इंतकाल नम्बर 344 ग्राम बरबटखेडी का खोलकर दिनांक 22.7.2014 को तस्दीक कि है वह अवैध अमान्य एवं प्रभाव शून्य है।

उक्त इंतकाल बिना किसी प्रमाणिकर ओर बिना किसी दस्तावेज के आधार पर खोला गया है, जिसको अपीलांटगण खारिज करवा कर उक्त आराजी को स्वंम के नाम दर्ज कराने के अधिकारी है। रेस्पोडेन्ट क्रम 2 भूमिधारी होने से अपील मे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उक्त इंतकाल निरस्त कर सविता का नाम खाते से खारिज किया जावे तथा अपीलांटगण को कृषक खातेदार घोषित किया जावे।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इंतकाल संख्या 344 दिनांक 22.07.2016 तहसीलदार छबडा को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांटगण को कृषक खातेदार घोषित किया जावे।

इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि तहसीलदार छबडा द्वारा तस्दीक किया गया इंतकाल 344 दिनांक 22.07.2016 वाके ग्राम बरबटखेडी तहसील छबडा नियमानुसार सही खोला गया है। जिसमे किसी भी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा नही की गई है। प्रकरण मे दिनांक 22.7.20016 को किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभाव मे नही था। प्रकरण मे मे रिसीवरी की गई थी वह श्रीमान उपखण्ड अधिकारी द्वारा खारिज की जा चुकी है। अतः अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकारान की बहस सुनी उस पर मनन किया पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नंबर 344 दिनांक 22.07.2016 वाके ग्राम बरबटखेडी तहसीलदार छबडा द्वारा तस्दीक किया गया है। जिसकी अपील अपीलांटगण द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है। जिसमे उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई ओर अधीनस्थ न्यायालय से मूल इंतकाल तलब किया गया। जिससे अवलोकन से पाया गया कि उक्त इंतकाल विक्रय पत्र दिनांक 28.3.2013 के आधार पर दिनांक 22.7.2016 को खोला गया है। सहखातेदार छीतरलाल ने अपने हिस्से की भूमि रेस्पोडेन्ट सविताबाई पत्नि राजमल कण्डारा को बेचान कर कब्जा सम्भलाया जाना अंकित किया गया है। प्रकरण मे इंतकाल तस्दीकी दिनांक 22.7.20016 को किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभाव मे नही था। प्रकरण मे रिसीवरी की गई थी, वह श्रीमान उपखण्ड अधिकारी द्वारा खारिज की जा चुकी थी। प्रकरण मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 2.7.2014 तक बढाया गया था। उसके बाद कोई भी स्थगन बढाने को आदेश प्राप्त नही हुआ है। श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश छबडा द्वारा दि. 23.2.2013 को स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका था तथा इसी आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा द्वारा माह जून, 2015 मे अपने निर्णय से रिसीवरी निरस्त कर दी गई थी। उपखण्ड अधिकारी छबडा द्वारा आदेश न्याय आपके द्वार /2016/73 दिनांक 14.7.2016 से इस ग्राम पंचायत को वादमुक्त घोषित कर दिया गया था।

अपीलांट हरिसिंह पुत्र बंशीलाल मीणा निवासी बरबटखेडी तहसील छबडा कब्जे के आधार पर वादग्रस्त आराजी में कोई हक व हिस्सा प्राप्त करना चाहता है, तो उसे सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत करके ही कोई अनुतोष प्राप्त करना चाहिये था। इंतकाल की कार्यवाही में किसी के हित व स्वत्व निहित नहीं किये जा सकते हैं। इंतकाल कार्यवाही एक समरी प्रोसीडिंग है।

चूंकि वादी अपने वाद का स्वामी होता है। अतः अपीलांट के विद्वान अभिभाषक प्रस्तुत अपील की ताईद मे कोई भी विधिक तथ्य प्रस्तुत करने मे विफल रहने के कारण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा नियमानुसार विधिक प्रक्रिया के अनुरूप खोले गये इंतकाल नम्बर 344 दिनांक 22.7.2016 वाके ग्राम बरबटखेडी तहसील छबडा मे हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है।

परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। यदि अपीलांट असंतुष्ट है तो वह किसी भी सक्षम अदालत से अन्यथा नियमानुसार अनुतोष प्राप्ति हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2019.08.16 15:37:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: